

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला (राज.)

ठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
करण संख्या:- 21/2025

सलूम्वर

तारीख दायर-26/09/2025

तारीख निर्णय-27.02.2026

1. श्री पुरीलाल पिता गुन्दा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
.....वादीगण

बनाम

1. श्री गुन्दा पिता कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
2. श्री रंगलाल पिता कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
3. श्री नाथू पिता कालीया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4. (1) श्रीमती मोगी पत्नी रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
- 4 (2) श्री नारायण पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
- 4 (3) श्री पुजा पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
- 4 (4) श्री धुला पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
- 4 (5) प्रेमी पुत्री रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
- 4 (6) गीता पुत्री रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
5. श्रीमती लिम्बडी पत्नि कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा



निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा देवलीया पटवार क्षेत्र देवलीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 335 व पुराना 266 में वर्णित आराजी नम्बर 645 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 647 रकबा 0.2808 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 648 रकबा 0.7884 हैक्टेयर, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.6632 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादीगणों एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फ़िरमाया

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा मौजा देवलीया पटवार क्षेत्र देवलीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 335 व पुराना 266 मे वर्णित आराजी नम्बर 645 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 647 रकबा 0.2808 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 648 रकबा 0.7884 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 1.6632 हैक्टेयर भूमि, का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला (राज.)

सलूम्वर

वाद डिकी

1. श्री पुरीलाल पिता गुन्दा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
.....वादीगण

बनाम

- 2 श्री गुन्दा पिता कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
3 श्री रंगलाल पिता कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 श्री नाथू पिता कालीया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
5 (1) श्रीमती मोगी पत्नी रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 (2) श्री नारायण पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 (3) श्री पुजा पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 (4) श्री धुला पुत्र रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 (5) प्रेमी पुत्री रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
4 (6) गीता पुत्री रूपा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
6 श्रीमती लिम्बडी पत्नि कालु मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा मौजा देवलीया पटवार क्षेत्र देवलीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 335 व पुराना 266 मे वर्णित आराजी नम्बर 645 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 647 रकबा 0.2808 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 648 रकबा 0.7884 हैक्टेयर, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.6632 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता की दोनो पक्षकारों के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)